न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुम्भलगढ़ राजसमन्द (राज.)
2. सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

महेन्द्रसिंह (मृतक) प्रोप्राईटर, ओदी होटल, कुम्भलगढ़ के बजाय श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड़ प्रोपराईटर, ओदी होटल, कुम्भलगढ़, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय
अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजसमन्द दि0
10–01–2017, प्रकरण संख्या 21/2012

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाशक अपीलान्ट

2– श्री मुरारीलाल द''ोदा अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक

27–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21–08–2001 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुम्भलगढ़ ने प्रोपराईटर ओदी होटल, कुम्भलगढ़ के विरूद्ध वनखण्ड भयामदुआ की जाल आराजी नंबर 274 की वन भूमि पर 10 बिस्वा (0.1080 हैक्टर) भूमि पर अतिकमण करने वाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की

धारा 91 (3) के तहत वाद पे"ा किया, जिस पर सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द ने प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 21–09–2002 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए भूमि से बेदखल करने का आदे"ा दिया गया।

सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द के उक्त आदे"ा दिनांक 21–09–2002 के विरूद्ध प्रतिवादी महेन्द्रसिंह द्वारा जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जो जिला कलक्टर के यहां प्रकरण संख्या 3/2003 के रूप में दर्ज की जाकर अपने निर्णय दिनांक 09–06–2004 से अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदे"ा दिनांक 21–09–2002 को निरस्त कर दिया तथा पत्रावली प्रतिप्रेशित कर अपीलान्ट की उपस्थिति में कार्यवाही करने का आदे"ा दिया।

जिला कलक्टर के प्रतिप्रेशण आदे"ा की पालना में सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर दिनांक 04–07–2012 को निर्णय पारित करते हुए विपक्षी को अतिकमी मानते हुए भाास्ति एवं बेदखली का आदे"ा पारित किया गया।

सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 04–07–2012 से रूश्ट होकर विपक्षी द्वारा पुनः अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 10–01–2017 से अपील स्वीकार कर सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 04–07–2012 का निरस्त कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 10–01–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 23–07–2018 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री मुरारीलाल द"ोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपील के साथ अपीलान्ट ने दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता को नियुक्त कर रखा था। प्रार्थी द्वारा आव''यक दस्तावेज संकलित करने में समय लगा, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। अतः देरी को कण्डोन किया जावे। ताईद में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेन्द्र पुरोहित का भापथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में करीब डेढ़ वर्श का विलम्ब हुआ है एवं देरी के जो कारण द''ार्ाये गये हैं, वे युक्ति–युक्त नहीं हैं, जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पश्ट किया जाना आव''यक है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 14–03–2009 पेज 150 एवं आर.आर.डी. 2002 पेज 26 प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। उक्त न्यायिक नजीरों के अनुसार देरी के मामले में संतोश जनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को संतुश्ट कराना आव''यक होता है, जबकि इस प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट का मात्र यह कथन है कि राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा चाहे जाने पर आव''यक दस्तावेज संकलित किये गये जिससे विलम्ब हुआ है, जो उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं हैं, जबकि अपील करीब डेढ़ वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि विवादित भूमि वन विभाग की भ्मि होने से सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द द्वारा जो बेदखली का आदे''ा पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,

राजसमन्द ने जिस रिपोर्ट दिनांक 23–12–2016 के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, वह रिपोर्ट गलत है, क्योंकि तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 04–07–2012 को यथावत रखा जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाशक ने अपनी लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि पर उसका किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं है, जो तहसीलदार कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट से भी स्पश्ट है। उक्त रिपोर्ट पर वन विभाग ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की है, किन्तु उक्त आपत्ति विधि विरूद्ध है, क्योंकि राजस्व अधिकारी यथा तहसीलदार आर.आई. एवं पटवारी ही भूमि का नाम व सीमांकन करने की क्षेत्राधिकारिता व अधिकारिता रखते हैं इसलिए उक्त रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई सं”ाय उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अपीलान्टगण द्वारा उक्त रिपोर्ट को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है इसलिए अब आप न्यायालय में उक्त पर्चा मौका को चुनौती नहीं दी जा सकती। उपखण्ड अधिकारी के मुकदमानंबर 3/2004 निर्णय दिनांक 23–06–2006 में यह स्पश्ट रूप से विवेचना किया गया है कि वन विभाग की सीमाओं में आराजी नंबर 274/11 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा में मौके व रेकार्ड मं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावे, बिलानाम एरिया पूर्व में रेकार्ड अनुसार पूर्णतया सुरक्षित रखा गया है एवं वन विभाग के उक्त आराजी नंबर 274/11 के नक्”ो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः स्पश्ट है कि राजस्व अधिकारी द्वारा वन विभाग का कब्जा सही व पूरा माना गया है, इसका अर्थ यही है कि वन विभाग की भूमि पर कोई अतिकमण अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया था एवं यदि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण होता तो राज्य सरकार जो उक्त मुकदमे में पक्षकार थी, उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करती। अतः उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़

का उक्त निर्णय दिनांक 23–06–2006 अंतिम हो चुका है, जिससे अपीलान्ट राज्य सरकार पूर्णतया बाधित है तथा उक्त निर्णय राज्य सरकार पर रेसज्यूडोकेटा का प्रभाव रखता है, इस कारण भी वर्तमान अपील रेसज्यूडीकेटा एवं एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित होने से खारिज योग्य है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23–12–2016 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि पर्चा मौका दिनांक 23–12–2016 जो दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उसमें पटवारी हल्का ने स्पश्ट रूप से अंकित किया है कि ''आराजी नंबर 581/274 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार वन विभाग रेन्ज कुम्भलगढ़ एवं आराजी नंबर 557/274 व 587/274 रकबा कम''ाः 5 बीघा 9 बिस्वा व 1 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार महेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह मेडतिया राजपूत एवं उपस्थित मौतबिरान के साथ उक्त आराजियात को सीमा जानकारी मौके पर पुख्ता नि''ाान आराजी नंबर 247 व 245 की सीमा से करवायी गयी। सीमा जानकारी अनुसार वन विभागन रेन्ज कुम्भलगढ़ की भूमि पर होटल ओदी का किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं होना पाया गया।'' हालांकि उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्टगण द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज करवायी गयी है, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट को अपीलान्टगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। तद्नुसार अब अपीलान्टगण उक्त मौका रिपोर्ट से पाबन्द हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पश्ट है कि वन विभाग की भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट का किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा नहीं है। जब विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट होटल ओदी का किसी प्रकार का नाजायज कब्जा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध भाास्ति एवं बेदखली के जो आदे''ा दिये गये हैं, वह उचित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द ने रेस्पोन्डेन्ट ओदी होटल की प्रथम अपील स्वीकार कर सहायक वन संरक्षक, राजसमन्द के निर्णय को अपास्त करने का जो आदे''ा दिया

है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना आव''यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर की अधिनस्थ अतिरिक्त न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 10–01–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 27–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर